

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग

क्रमांक: प.19 (1) सा.प्र./ग्रुप-4/०९

जयपुर, दिनांक १५/८/११

मुख्य अभियन्ता (भवन),
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- राजकीय आवास संख्या 1/43 गांधीनगर, जयपुर में परिवर्तन/परिवर्द्धन बाबत।

संदर्भ:- अधिशाषी अभियन्ता, सा०नि०विभाग, नगर खण्ड-तृतीय, जयपुर की सीआर नम्बर 0012741/095 दिनांक 12.7.11 (पत्र क्रमांक 3573 दिनांक 12.7.11)

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि आवासी द्वारा सहभागिता राशि जमा करवाने के फलस्वरूप राजकीय आवास संख्या 1/43 (डॉ आर० वेंकटेश्वरन् आई०ए०ए४०) गांधीनगर जयपुर में एडीशनल रूम एवं टॉयलेट कार्य हेतु रु 2.41 लाख (अक्षरे रूपये दो लाख इकतालीस हजार मात्र) के व्यय के लिये राज्यपाल महोदय की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

यह व्यय बजट मद 2216—आवास (हाउसिंग) 05—साधारण पूल आवास, 800—अन्य व्यय (01) निर्माण [04] प्रथम से चतुर्थ श्रेणी के आवासों के लिये, 16—लघु निर्माण कार्य (आयोजना भिन्न) से चालू वित्तीय वर्ष 2011—12 में उपलब्ध प्रावधान में से वहन होगा। कार्य पूर्ण करवाकर कम्पलीशन प्रमाण पत्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

समस्त वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा सुस्थापित सिद्धातों की प्रत्येक स्तर पर पालना सुनिश्चित की जावे तथा आपके विभाग के परिपत्र क्रमांक (184) SE(B)/Circulars/C-144 दिनांक 13.07.2009 के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

Sd

उप शासन सचिव (क)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव सामान्य प्रशासन विभाग।
3. डॉ आर० वेंकटेश्वरन्, आई०ए०ए४०, 1/43 गांधीनगर, जयपुर।
4. अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर वृत्त जयपुर।
5. अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर खण्ड-गा, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।


उप शासन सचिव (क)

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग

क्रमांक :— प.19 (7) सा.प्र./ग्रुप-4/11

जयपुर, दिनांक 15/7/11

मुख्य अभियन्ता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन)
राजस्थान, जयपुर।

विषय:— राजकीय आवास संख्या सी-630, गांधीनगर जयपुर में
परिवर्तन/परिवर्द्धन बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजकीय आवास संख्या सी-630, गांधीनगर जयपुर
में निम्न कार्यों हेतु राशि रु. 0.48 लाख (अक्षरे रूपये अङ्गतालीस हजार मात्र) के व्यय के
लिये राज्यपाल महोदय की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

क्र.सं	आवासी का नाम व आवास संख्या	कार्य का विवरण	राशि (लाखों में)
1.	माननीय मंत्री श्री भरोसी लाल आवास संख्या सी-630, गांधीनगर जयपुर।	Renovation of Toilet Including Tile Work etc.	0.48
		कुल योग	0.48

यह व्यय बजट मद 2216—आवास (हाउसिंग) 05—साधारण पूल आवास, 800— अन्य व्यय (01) निर्माण [03] मुख्यमंत्री व मंत्रीयों के बंगलों के लिये, 16—लघु निर्माण कार्य (आयोजना भिन्न) से चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 में वहन होगा। कार्य पूर्ण करवाकर कम्पलीशन प्रमाण पत्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

समस्त वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा सुस्थापित सिद्धातों की प्रत्येक स्तर पर पालना सुनिश्चित की जावे तथा आपके विभाग के परिपत्र क्रमांक (184) SE(B)/Circulars/C-144 दिनांक 13.07.2009 के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करे।

भवदीय

S/—

उप शासन सचिव (क)

प्रतिलिपि निम्नांकितं को सूचनार्थ एवं आवध्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
2. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर वृत्त जयपुर।
3. अधिषाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर खण्ड-I, जयपुर।
4. निजी सचिव, माननीय मंत्री श्री भरोसी लाल आवास संख्या सी-630, गांधीनगर जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव (क)

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग

क्रमांक: प.19 (1) सा.प्र./ग्रुप-4/11

जयपुर, दिनांक १९/७/११

मुख्य अभियन्ता (भवन),
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- राजकीय आवास संख्या 1/1 गांधीनगर, जयपुर में परिवर्तन/परिवर्द्धन बाबत।

संदर्भ:- अधिशाषी अभियन्ता, सा०नि०विभाग, नगर खण्ड-तृतीय, जयपुर की सीआर नम्बर 0012743/053 दिनांक 19.7.11 (पत्र क्रमांक 3900 दिनांक 19.7.11)

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि आवासी द्वारा सहभागिता राशि जमा करवाने के फलस्वरूप राजकीय आवास संख्या 1/1 (श्री कुंजीलाल मीणा, आयुक्त एवं शासन सचिव सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग) गांधीनगर जयपुर में टॉयलेट व किचन नवीनीकरण कार्य हेतु रु 0.48 लाख (0.28+0.20) (अक्षरे रूपये अड़तालीस हजार मात्र) के व्यय के लिये राज्यपाल महोदय की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

यह व्यय बजट मद 2216—आवास (हाउसिंग) 05—साधारण पूल आवास, 800—अन्य व्यय (01) निर्माण [04] प्रथम से चतुर्थ श्रेणी के आवासों के लिये, 16—लघु निर्माण कार्य (आयोजना भिन्न) से चालू वित्तीय वर्ष 2011—12 में उपलब्ध प्रावधान में से वहन होगा। कार्य पूर्ण करवाकर कम्पलीशन प्रमाण पत्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

समस्त वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा सुरक्षापित सिद्धातों की प्रत्येक स्तर पर पालना सुनिश्चित की जावे तथा आपके विभाग के परिपत्र क्रमांक (184) SE(B)/Circulars/C-144 दिनांक 13.07.2009 के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय


उप शासन सचिव (क)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव सामान्य प्रशासन विभाग।
3. श्री कुंजीलाल मीणा आयुक्त एवं शासन सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग आवास संख्या 1/1, गांधीनगर, जयपुर।
4. अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर वृत्त जयपुर।
5. अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर खण्ड-गा, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।


उप शासन सचिव (क)

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग

क्रमांक :— प.19 (7) सा.प्र./ग्रुप-4/11

जयपुर, दिनांक २५/७/११

मुख्य अभियन्ता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन)
राजस्थान, जयपुर।

विषयः— राजकीय आवास संख्या 47, सिविल लाईन्स, जयपुर में परिवर्तन /परिवर्द्धन बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजकीय आवास संख्या 47, सिविल लाईन्स, जयपुर में निम्न कार्यों हेतु राशि रु. 1.65 लाख (अक्षरे एक लाख पैसठ हजार मात्र) के व्यय के लिये राज्यपाल महोदय की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्थीकृति प्रदान की जाती है :—

क्र.सं	आवासी का नाम व आवास संख्या	कार्य का विवरण	राशि (लाखों में)
1.	श्री राजेन्द्र पारीक, माननीय उद्योग मंत्री महोदय राजकीय आवास संख्या 47, सिविल लाईन्स, जयपुर।	1. Providing and applying tack coat with Bitumen emulsion etc. 2. Providing and laying bituminous Concrete with 100-120 etc. 3. Providing and laying bituminous macadam with hot mix plant using crushed aggregates of grading as per Table 500.4 premixed with bituminous binder etc. 4. Marking centre line and Stop line etc. on road as per IRC pattern with thermoplastic paint of approved quality etc.	0.05 1.07 0.45 0.08
		कुल योग	1.65

यह व्यय बजट मद 2216—आवास (हाउसिंग) 05—साधारण पूल आवास, 800—अन्य व्यय (01) निर्माण [03] मुख्यमंत्री व मंत्रीयों के बंगलों के लिये, 16—लघु निर्माण कार्य (आयोजना भिन्न) से चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 में वहन होगा। कार्य पूर्ण करवाकर कम्प्लीशन प्रमाण पत्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

समर्त वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा सुस्थापित सिद्धातों की प्रत्येक स्तर पर पालना सुनिश्चित की जावे तथा आपके विभाग के परिपत्र क्रमांक (184) SE(B)/Circulars/C-144 दिनांक 13.07.2009 के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करे।

भवदीय

Sd
उप शासन सचिव (क)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवधक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
2. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर वृत्त जयपुर।
3. अधिषासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर खण्ड-१, जयपुर।
4. निजी सचिव, माननीय उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र पारीक, आवास संख्या 47, सिविल लाईन्स, जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

L
उप शासन सचिव (क)

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग

क्रमांक :— प.19 (7) सा.प्र./ग्रुप-4/11

जयपुर, दिनांक २५/७/।।।

मुख्य अभियन्ता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन)
राजस्थान, जयपुर ।

विषयः— राजकीय आवास संख्या 50, सिविल लाईन्स, जयपुर में परिवर्तन /परिवर्द्धन बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजकीय आवास संख्या 50, सिविल लाईन्स, जयपुर में निम्न कार्यों हेतु राशि रु. 1.90 लाख (अक्षरे एक लाख नब्बे हजार मात्र) के व्यय के लिये राज्यपाल महोदय की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

क्र.सं	आवासी का नाम व आवास संख्या	कार्य का विवरण	राशि (लाखों में)
1.	श्री परसादी लाल मीणा माननीय सहकारिता मंत्री महोदय राजकीय आवास संख्या 50, सिविल लाईन्स, जयपुर	1. Vitrified tile flooring work Total 698.00 Sqft 2. Providing and fixing granite work with moulding etc. complete. Total 252.00 Sqft. 3. Providing and fixing Aluminium window with grill. 4. For Antitermite treatment paste control work.	0.65 0.74 0.10 0.41
		कुल योग	1.90

यह व्यय बजट मद 2216—आवास (हाउसिंग) 05—साधारण पूल आवास, 800—अन्य व्यय (01) निर्माण [03] मुख्यमंत्री व मंत्रीयों के बंगलों के लिये, 16—लघु निर्माण कार्य (आयोजना भिन्न) से चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में वहन होगा। कार्य पूर्ण करवाकर कम्पलीशन प्रमाण पत्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

समर्पण वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा सुरक्षापित सिद्धातों की प्रत्येक स्तर पर पालना सुनिश्चित की जावे तथा आपके विभाग के परिपत्र क्रमांक (184) SE(B) /Circulars/C-144 दिनांक 13.07.2009 के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

sd
उप शासन सचिव (क)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवधक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
2. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर वृत्त जयपुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर खण्ड-।, जयपुर।
4. निजी सचिव, माननीय सहकारिता मंत्री महोदय राजकीय आवास संख्या 50, सिविल लाईन्स, जयपुर।
5. राक्षित पत्रावली।

dr.
उप शासन सचिव (क)